जिला हाथकरघा कार्यालय
उज्जैन (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2005

बिन्दुवार जानकारी

जिला पंचायत परिसर
दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक 1—अ — संगठन का विवरण

जिला हाथकरघा कार्यालय का सेटअप

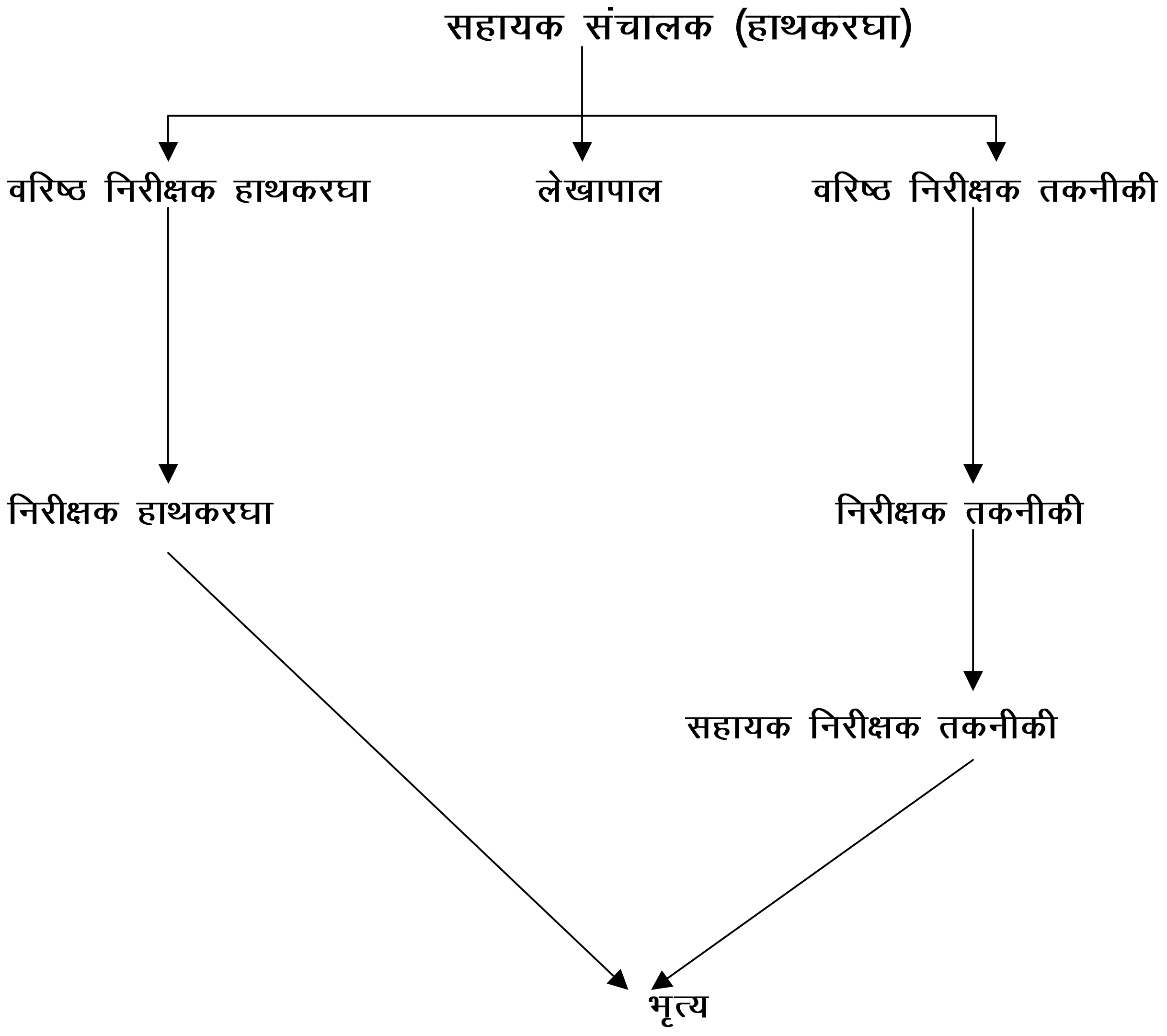

बिन्दु क्रमांक 1 – बी : कार्यालय के प्रत्येक कक्ष के कार्य एवं कर्तव्य

क्रमांक	कक्ष	कार्य संपादन
01	स्थापना	सभी प्रकार के अवकाश, सेवा निवृत्त, पेंशन, वेतन निर्धारण सेवा पुस्तिकाओं का संधारण (विभागीय कर्मचारियों के) कार्यालय के अप्रचलित/अनुपयोगी रिकार्ड का संधारण एवं लायब्रेरी का संधारण इत्यादि।
02.	लेखा	आहरण एवं संवितरण, जी.पी.एफ., यात्रा देयक, चिकित्सा देयक आदि कार्य एवं कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु सामग्री क्रय एवं पंजीयों का संधारण आदि स्थापना बजट से संबंधित समस्त कार्य एवं पंजीयों का संधारण ।
3.	योजना/कलस्टर/ समन्वय विभागीय योजना बजट	लोकसभा, विधानसभा संबंधी कार्य/विभागीय एवं अंतर्विभागीय बैठकों की जानकारियों का संकलन, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का बजट संबंधी कार्य विकास कार्य, मानीटरिंग, पंजीयों का संधारण, भौतिक, वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति । कलस्टर विकास का कार्य योजना का संधारण एवं क्रियान्वयन ।
4.	तकनीकी	जिले में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, निरीक्षण, नियंत्रण/तकनीकी मार्गदर्शन/नये डिजाइन आदि को प्रसारण/पावरलूम निरीक्षण/शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना/मासिक जानकारियों का संधारण, संकलन इत्यादि।
5.	विधि/बुनकर/औद्योगिक सांख्यिकीय	बुनकर/औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन/समितियों की पंजी का संधारण/विधि संबंधी समस्त कार्य समितियों से संबंधित समस्त जानकारियों का संधारण एवं सांख्यिकीय सारणियों की जानकारियाँ इत्यादि कार्य ।

बिन्दु क्र. 2 – कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद एवं आवंटित कार्य

क्रमांक	नाम	पद	वेतन	पता	कर्तव्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	श्री टी. एम. अन्सारी	सहायक संचालक (तकनीकी)	रू.16738/–	132/1, न्यू हरिफाटक रोड़ उज्जैन	जिला हाथकरघा कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी के समस्त कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करना । जिले में पदस्थ अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण, कार्य आबंटन एवं किये गये कार्यों पर नियंत्रण रखना (हाथकरघा बुनकर/औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन) । इनसे संबंधित शिल्पियों के लिये विकासात्मक कार्य, विभागीय योजनाओं एवं शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना का क्रियान्वयन आदि कार्य । सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा में कार्य कराना ।
02	श्री ए. आर. वर्मा	वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा)	रू. 11654/–	27/6, खत्रीवाड़ा उज्जैन	हाथकरघा बुनकर/औद्यो. सहकारी समितियों के विभागीय योजनाओं में वित्तीय प्रस्ताव तैयार कराना । समितियों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, जांच, नियंत्रण, अन्य वैधानिक, वित्तीय कार्यवाहियाँ एवं

					विकासात्मक समस्त कार्य। अकार्यशील समितियो को कार्यशील करना, सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा में कार्य करना । समितियों का गठन की कार्यवाही करना। अन्य कार्य जो समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये जावें ।
3.	श्री आर. सी. पाठक बुनकर/औद्यो.	वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)	रू. 10,917/–	23, आनन्दगंज की झीरि, इन्दौर गेट, उज्जैन	हाथकरघा समितियों/लघु इकाईयों के विभागीय योजनाओं में वित्तीय प्रस्ताव तैयार कराना, इनका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, जांच, नियंत्रण अन्य वैधानिक एवं वित्तीय कार्यवाहियाँ एवं विकासात्मक समितियों का गठन, अकार्यशील को कार्यशील कराना, नई डिजाइनें विकसित करना, वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच, उसमें बाजार की मांग अनुरूप सुधार कराना । अन्य समस्त कार्य करना जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जावें। सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा में कार्य करना ।
04.	श्री पी. के. शास्त्री	निरीक्षक, हाथकरघा	रू. 9850/–	बी–2/14, महाकाल	सहकारी समितियों के रिकार्ड तातारीख पूर्ण हो यह वाणिज्यिक सुनिश्चित करना । शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करना, समितियों के साख सीमा

					संबंधी प्रस्ताव तैयार करना । लघु हाथकरघा इकाईयों एवं स्व–सहायता समूह के गठन का प्रस्ताव तैयार करना । जिले में संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति संकलित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना। सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा में कार्य करना । समितियों का गठन, निरीक्षण व अकार्यशील समितियों को कार्यशील करने का प्रस्ताव तैयार करना । अन्य कार्य जो समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये जावें ।
5.	श्री एस. सी. नाटानी	निरीक्षक, हाथकरघा	रू. 8866 / –	53, हरसिद्धी दरवाजा, उज्जैन	.... ’’ ....
6.	श्री बी. एल. खाण्डेगर	निरीक्षक, हाथकरघा	रू. 8825 / –	250, गौतम मार्ग नयापुरा, उज्जैन	प्राथमिक बुनकर / औद्यो. समितियों एवं लघु इकाईयों के उत्पादन में तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार मांग अनुरूप उन्नत प्रौद्योगिकी से परिचित करना, उन्नत उपकरण लगाने एवं उन पर बुनाई करने में प्रशिक्षण देना। सहकारी समितियों के रिकार्ड तातारीख पूर्ण हो, सुनिश्चित करना । शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करना, समितियों के साख सीमा संबंधी प्रस्ताव तैयार करना । लघु

					हाथकरघा इकाईयों व स्व–सहायता समूह के गठन का प्रस्ताव तैयार करना । जिले में संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति संकलित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना। समितियों का गठन, निरीक्षण व अकार्यशील समितियों को कार्यशील करने का प्रस्ताव तैयार करना । सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा में कार्य करना । अन्य कार्य जो समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिया जाये ।
7.	श्री एम. एन. शुक्ला	सहायक निरीक्षक (तकनीकी)	रू. 7062/–	55, महादजी मार्ग, कार्तिक चौक, उज्जैन	समितियों की मूलभूत जानकारी एकत्र करना, समितियों के विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कराना, तकनीकी मार्गदर्शन देना । संस्थाओं के विकास कार्य में सहयोग देना, वस्त्र मुद्रांकन की जांच का परीक्षण, विश्लेषण व वस्त्रों का मूल्य निर्धारित करना, नवीन किस्म के उत्पादन के लिये करघों का सेटिंग कराना । सांख्यिकी जानकारी एकत्रित करना, जानकारी की मानिटरिंग करना, सिटीजन चार्टर के अनुसार समय सीमा अनुसार कार्य करना । समिति का गठन, निरीक्षण व अकार्यशील समिति को कार्यशील करने के प्रस्ताव तैयार करना । अन्य वे

					समस्त कार्य जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये जावें ।
08.	श्री अशोक कुमार मिल्के	चौकीदार	रू. 5288/–	24, शास्त्री नगर गली नं. 2, उज्जैन	कार्यालय की चौकीदारी का कार्य । समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
09.	श्री नारायण धोलपुरे	फर्राश एवं वाटरमेन	रू. 5288/–	30, महेश नगर उज्जैन	कोषालयीन कार्य, डाक वितरण, कार्यालयीन साफ सफाई, पानी की व्यवस्था । नस्तियों का परिचालान, अन्य समस्त कार्य जो समय–समय पर सौंपे गये ।
10.	श्री अशोक योगी	भृत्य	रू. 4223/–	वेद नगर, नानाखेड़ा,	कोषालयीन कार्य, डाक वितरण, नस्तियों का परिचालन/समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्य।

बिन्दु क्रमांक 3– यू/एस 4.1 (बी) (।।।) अंतर्गत पदानुक्रम के आधार पर निर्णय व्यवस्था

सहायक

प्राप्त पत्र अधिकारी के ज्ञान में लाया जाकर कार्यालय में आवक किया जाकर कक्ष सहायक सम्बन्धित फाईल के साथ प्रस्तुत करना

↓

कक्ष प्रभारी

प्राप्त फाईल के साथ जानकारी तैयार की जाकर पत्र का उत्तर तैयार किया जाकर अभिमत के साथ वरिष्ठ कर्मचारी को प्रस्तुत करना ।

↓

वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा/तकनीकी

प्रकरण का अध्ययन कर प्रकरण के अनुरूप अभिमत के साथ निर्णय हेतु सहायक संचालक के समक्ष प्रस्तुत करना ।

↓

सहायक संचालक

प्रकरण पर अंतिम निर्णय एवं आदेश ।

बिन्दु क्रमांक 4 :–

अ. समय मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है । यू/एस 4.1 (बी) (iv)

ब. गुणवत्ता मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है ।

स. मात्रा लक्ष्य वर्ष में कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु ।

	सामान्य	अति आवश्यक
सहायक	24 घन्टे	3 घण्टा
कक्ष प्रभारी	2 दिन	2 घण्टा
वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक	7 दन	6 घण्टा
हाथकरघा/तकनीकी		
सहायक संचालक हाथकरघा	4 दिन	1 दिन

बिन्दु क्रमांक 5 – संचालनालय के संचालन से संबंधित नियम, अधिनियम, मेन्युअल, परिपत्र आदि की सूची यू/एस 4.1 (बी) (v)

अधिनियम – ———————————— निरंक ————————————

नियम – हाथकरघा क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना :–

राज्य प्रोजेक्स पैकेज योजना वर्ष 1991 से प्रदेश में संचालित है । इस योजना के प्रमुख अंग हाथकरघा प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण प्रदाय, अंशपूंजी ऋण, धनवेष्ठन, मार्जिन मनी, सामान्य सुविधा केन्द्र, कार्यालय सह गोदाम, अंशपूंजी अनुदान तथा लघु हाथकरघा इकाई की स्थापना हेतु बुनकरों को राशि उपलब्ध कराते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना है । प्रोजेक्ट पैकेज योजना के विभिन्न अंगों के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रशिक्षण :– प्रति हितग्राही को रूपये 250/– प्रतिमाह के मान से 6 माह प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । रूपये 90/– प्रति हितग्राही के मान से 6 माह के लिये राशि कच्चे माल के प्रदाय हेतु उपलब्ध कराई जाती है । सूत एवं खराब कपड़े की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 200/– प्रति हितग्राही राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा करघे अनुदान अन्तर्गत 1000/– रूपये के मान से अधिकतम 10 करघे स्थापित करने हेतु रूपये 10,000/– अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

2. उन्नत उपकरण :– बुनकरों को करघें स्थापित करने हेतु करघें तथा सहायक उपकरण प्रदाय करने का प्रावधान है । करघें हेतु रूपये 8000/– तक की सहायता दी जाती है जिसमें 50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।

3. धनवेष्ठन :– बुनकर सहकारी समितियों की जमा अंशपूंजी के तीन गुने तक ब्याज रहित ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

4. मार्जिन मनी :– समिति में जमा अंशपूंजी के 15 गुने, अधिकतम राशि रूपये 50,000/– तक ब्याज रहित ऋण के रूप में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति की समितियों को उपलब्ध कराई जाती है ।

5. अंश पूंजी ऋण :– रूपये 10/– के मान से 4 अंश हेतु राशि रूपये 40/– जमा करने पर 90/– के मान से अधिकतम 4 अंश पर रूपये 360/– तक प्रत्येक सदस्य को ब्याज रहित ऋण समिति को उपलब्ध कराया जाता है ।

6. अंश पूंजी अनुदान :– प्रति सदस्य रूपये 10/– जमा करने पर रूपये 90/– प्रति सदस्य के मान से एक अंश क्रय करने हेतु अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की समितियों को उपलब्ध कराया जाता है ।

7. सामान्य सुविधा केन्द्र :– स्वयं के मालिकाना हक की भूमि होने पर समिति को रूपये 60,000/–तक सहायता सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जाती है । जिसमें रूपये 15,000/– अनुदान, रूपये 10,000/– धनवेष्ठन तथा रूपये 35,000/– ऋण के रूप में प्रदान की जाती है ।

8. कार्यालय सह गोदाम :– स्वयं के मालिकाना हक की भूमि होने पर कार्यालय सह गोदाम स्थापित करने के लिये अधिकतम रूपये 1.00 लाख तक की सहायता समितियों को उपलब्ध करायी जाती है। 75 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

9. लघु हाथकरघा इकाई :–

अ. लघु हाथकरघा इकाई पंजीबद्ध करने के लिये इकाई में कम से कम 5 करघे होना आवश्यक है । अधिकतम 20 करघे स्थापित करने के लिये रूपये 1500/– प्रति करघे के मान से लूम शेड अनुदान प्रदान किया जाता है । शेष राशि स्वयं इकाई द्वारा लगाई जायेगी ।

ब. पंजीबद्ध लघु हाथकरघा इकाई को रूपये 1500/– प्रति करघे के मान से अधिकतम 20 करघों हेतु रूपये 30,000/– तक की मार्जिन मनी ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

स. राष्ट्रीयकृत बैंक के ऋण पर सामान्य वर्ग के इकाई को 3 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की इकाई 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिला पंचायतों को वर्ष 2000 से स्थानांतरित की जा चुकी है ।

2. बाजार अध्ययन :– यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गयी है । बुनकरों को बाजार मांग के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु उन्हें अध्ययन भ्रमण, वस्त्र विक्रय हेतु मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन करने के लिये राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी द्वारा दिये गये अनुमोदन

अनुरूप निगम, संघ एवं समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती है । इस योजना का संचालन संचालनालय स्तर से किया जा रहा है ।

3. अनुसंधान एवं विकास :– यह योजना भी वर्ष 1998–99 में प्रारंभ की गयी है । हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यो के लिये राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है । यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है ।

4. व्यक्तिगत हाथकरघा बुनकरों हेतु सहायता :– यह योजना वर्ष 2001–02 में प्रारंभ की गयी है। निजी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकर हो किसी समिति के सदस्य नहीं है । उन्हें कार्यशील पूंजी, वर्कशेड एवं करघे क्रय करने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है । ऋण राशि वित्तीय संस्थाएं द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत योजनान्तर्गत करघे एवं उपकरण क्रय हेतु 40,000/– तक अनुदान कार्यशील पूंजी हेतु 20,000/– तथा वर्कशेड निर्माण हेतु 7,000/– तक की सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।

5. कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना :– उत्कृष्ठ हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रूपये 10,000/– द्वितीय रूपये 5,000/– पुरूस्कार ।

चार नवीन योजनाएँ (राज्य)

1. एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम :– हाथकरघा क्षेत्र के जीवंत धरोहर के महत्वपूर्ण कलस्टरों के समग्र विकास करने तथा इन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में भारत सरकार विभागों के समन्वय से विकसित करना ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, जिससे रोजगार की संभावना में वृद्धि हों इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कलस्टरों में सड़कों/नालियों के निर्माण जल/विद्युत प्रदाय की व्यवस्था बुनकरों के स्वच्छ कार्य वातावरण हेतु आवास सह कर्मशाला, सामान्य सुविधा केन्द्र डिजाइन कम ट्रेनिंग सेंटर, डाय हाउस, प्रोसेस हाउस की सुविधाओं का विकास करने शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा ।

2. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग :– हाथकरघ एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है ।

3. स्पेशल प्रोजेक्ट :— हाथकरघा एवं हस्तशिलप के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएँ क्रियान्वयन हेतु एवं हाथकरघा वस्त्रों एवं हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिये देश/प्रदेश के प्रमुख नगरों में अरबनहाट, हेण्डलूम हवेली आदि के निर्माण के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह योजना प्रारंभ की गयी है ।

4. हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की योजना :— हाथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को नियमित रोजगार प्रदान करने हेतु उनके उत्पादों की मांग बढाने एवं वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रमोशन नितांत आवश्यक है । अभिलेखीकरण के द्वारा किए गये विकास कार्यों को लिपिबद्ध करने से भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है ।

केन्द्र सरकार की योजनाएं :—

दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना :—

1. इस योजना में कार्यशील पूंजी, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, धनवेष्ठन प्रोसेस हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फर्निशिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र, रंगाई घर के निर्माण, कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन सेन्टर, नेशनल फेशन टेक्नालॉजी इन्स्टीटयूट एवं बनुकर सेवा केन्द्र से सेवा लेने हेतु सहायता, हाथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु प्रचार—प्रसार तथा प्राथमिक समितियों/शीर्ष संस्थाओं को उनकी औसत बिक्री के आधार पर 8 प्रतिशत तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान है । यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट पैकेज योजना बंद की जाकर वर्ष 2001 से प्रारंभ की गयी है । योजना में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है ।

2. निर्यात संवर्धन योजना :— हाथकरघा बुनकरों के निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पाद, विकास एवं विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रूपये 64.00 लाख तक की आर्थिक सहायता राज्य के शीर्ष संघ एवं निगम को उपलब्ध करायी जाती है । योजना में केन्द्र का हिस्सा 50 से 75 प्रतिशत तथा राज्य का हिस्सा 25—50 प्रतिशत तक का है ।

3. वेलफेयर योजना :— यह बुनकरों की कल्याणकारी योजना है, जिससे मितव्ययता निधि एवं समूह बीमा के लिये राशि उपलब्ध करायी जाती है । मितव्ययता निधि अनुदान अन्तर्गत बुनकर सदस्य द्वारा अपनी मजदूरी से 8 प्रतिशत राशि जमा करने पर 8 प्रतिशत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है जिसमें 4 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होता है । समूह बीमा योजनान्तर्गत जनश्री बीमा एवं एडऑन बीमा योजना लागू है । जनश्री बीमा योजनान्तर्गत बुनकर अंशदान राशि रू. 90/— है। जनश्री बीमा योजनान्तर्गत एक वर्ष के लिये बुनकर को राशि रू. 25,000/— तक की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित किया जाता है एवं एडऑन बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम देने पर बुनकर को 50,000/— तक की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित किया जाता है ।

4. हेल्थ पैकेज :– इस योजनान्तर्गत गंभीर बीमारी जैसे टी. बी., अस्थमा, आहर नली से संबंधित बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आंखों की जांच, चश्मा, प्रसूती तथा नसबंदी हेतु सहायता प्रदान की जाती है। गंभीर बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 1500/–, आंखों की जांच के लिये रूपये 40/–, चश्में हेतु 150/–, बोरवेल हेतु 35,000/–, प्रसूति हेतु रू. 500/– नसबंदी प्रोत्साहन रू. 100/– की सहायता दी जाती है ।

5. कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला :– इस योजनान्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों को कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला या जीर्णोद्वार हेतु अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है । सहायता की पात्रता केवल समिति सदस्यों को प्राप्त है । इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इकाई मूल्य रू. 9000/–, अधिकतम अनुदान रूपये 7000/–, शहरी कर्मशाला इकाई मूल्य रूपये 14,000/–, अधिकतम अनुदान रूपये 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है । ग्रामीण क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूलय रूपये 35000/– अनुदान रूपये 18,000/– शहरी क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूल्य 45000/– अनुदान रूपये 20000/– दिये जाने का प्रावधान है ।

औद्योगिक सहकारिता योजनाएँ :–

1. वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण

अ. अंशपूंजी ऋण :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूंजी को बढ़ाने हेतु सदस्य द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के तीन गुने तक की सहायता शासन ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है । इस प्रकार कार्यशील पूंजी में वृद्धि होने से समिति के पक्ष में सहकारी अधिकोष से साख सीमा की पक्षता में वृद्धि होती है ।

ब. मार्जिन मनी ऋण :– प्राथमिक समिति की सदस्य संख्या कम से कम 30 एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 10,000/– उपलब्ध होने पर शासन द्वारा कार्यशील पूंजी बढाने हेतु रूपये 50,000/– तक ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

समिति को मार्जिन मनी ऋण प्राप्त होने से साख तारण सीमा में वृद्धि होती है व समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है ।

स. शासकीय धनवेष्ठन :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि हेतु शासन समिति के अंश क्रय कर राशि वेष्ठित करता है । यह राशि समिति के अंशपूंजी के 3 गुना तक सीमित है । समिति के सदस्यों को रूपये 10,000/– की अंशपूंजी एकत्र करना आवश्यक है ।

द. ब्याज अनुदान :– इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को सहकारी अधिकोष से रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

इ. अंश क्रय अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को औद्योगिक सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु एक अंश क्रय करने हेतु रूपये 10/– जमा करने पर 90/– रू. अनुदान शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

2. संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया सहायता :–

अ. अवरूद्ध पूंजी ऋण/अनुदान :– इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, कर्मशाला निर्माण, उद्योग संचालन एवं आवश्यक उपकरण/संयंत्र क्रय करने हेतु शासन द्वारा समिति को प्रदत्त अंशपूंजी के 4 गुने तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इसकी अधिकतम सीमा राशि रू. 2.00 लाख है ।

3. प्रबंधन एवं पुनर्गठन सहायता :–

अ. प्रबंधकीय सहायता :– इस योजना के अनुसार प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिदिन के कार्य संचालन, माल संग्रह, नगद रकमों, सम्पत्तियों का हिसाब एवं संस्था के समस्त अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने हेतु संस्था को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में क्रमशः रूपये 8000, 5000, 3000, 2000 की शासकीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

ब. पुनर्गठन सहायता :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ जो कि अर्थाभाव, अपर्याप्त उत्पादन एवं व्यवसाय के अपरिहार्य कारणों से हानि में आकर निष्क्रिय हो जाती है । ऐसी अकार्यशील संस्थाओं को पुनः कार्यशील करने हेतु शासन द्वारा रूपये 30,000/– की सहायता दी जाती है ।

4. विपणन सहायता :–

विक्रय केन्द्र :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्तरोत्तर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सुसंगठित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विक्रय भण्डार संचालन एवं व्यवस्थापन के लिये रूपये 50,000/– से रूपये 1,50,000/– तक की बिक्री पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः 6000, 3600, 2400 एवं 1.50 लाख से अधिक की बिक्री पर क्रमशः 10,000, 6,000, 4,000 की सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

5. प्रशिक्षण :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्तरोत्तर प्रगति में वैतनिक प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक एवं लेखापाल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । अतः उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु सहकारी प्रशिक्षण के लिये रूपये 1000/– का अनुदान संस्था शासन को उपलब्ध कराया जाता है ।

मेन्युअल :– विभागीय मेन्युअल पृथक से तैयार किया गया है ।

परिपत्र :– परिपत्रों का समावेश विभागीय मेन्युअल में किया गया है ।

योजनाओं को स्वीकृत करने की मुख्य पात्रता एवं शर्ते तथा प्रक्रिया :–

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ।
2. औद्योगिक संस्थाओं को योजनाओं में सहायता स्वीकृति हेतु पंजीयन के पश्चात् 2 वर्ष तक

   सफलता पूर्वक कार्य संचालन या प्रथम अंकेक्षण पूर्ण होना ।
3. संस्था लाभ में चल रही है ।
4. शासन एवं बैंक की कालातीत न हो ।

5. संस्था की सामान्य जानकारी ।

6. दो वर्ष के वित्तीय पत्रक लगाना आवश्यक ।

7. संरचना 3 प्रक्रिया योजना में 40, सदस्य होना प्रदत्त अंशपूंजी 12,000/– होना । वार्षिक
उत्पादन 1.20 लाख होना तथा प्लान एस्टीमेट ।

8. विपणन के लिए सदस्यता योजना में वार्षिक विक्रय राशि रू. 0.50 लाख से 1.50 लाख तक
होना।

शर्तें पूर्ण करने वाले पात्र समितियों के सहायता प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार किये जाकर जिला पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग स्थाई उप समिति से अनुमोदन कराने के बाद शहरी क्षेत्र की समितियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर एवं ग्रमीण क्षेत्र की समितियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से अनुमोदन स्वीकृतियाँ जारी की जावेगी। (पश्चात् देयक तैयार कर जिला को राशि का आहरण किया जाकर सहकारी समिति एवं सहायक संचालक हाथकरघा के संयुक्त सेविंग खाते में राशि जमा की जावेगी । (योजना की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् राशि विमुक्त कर योजना में क्रियान्वित की जायेगी ।

ऊपर दी गई योजनाओं में चार नवीन योजनाएँ बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक एवं केन्द्र सरकार की योजनाएँ बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक में प्रस्ताव तैयार किये जाकर अनुशंसा के साथ हाथकरघा एवं हस्त शिल्प म.प्र. भोपाल को भेजे जावेंगे । मुख्यालय से स्वीकृति पश्चात् राशि योजनाओं में क्रियान्वित की जायेगी ।

विभागीय योजनाओं में बुनकर/औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती है। लघु एवं कुटीर उद्योग के निम्न 22 वृहद् समूहों की सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।
1. खाल उतारना और चर्म शोधन कार्य, 2. चमड़े का सामान, 3. मिट्टी के बर्तन बनाना, 4. धान एवं अनाजों की हाथ कुटाई, 5. चांवल मिल, आटा मिल बेकरी, 6. तेल पिराई, 7. ताड गुड़, 8. गन्ने का गुड़ और खाण्ड सारी, 9. फलों और सब्जियों की डिब्बा बन्दी, 10. कृषि और वन उत्पादों का निर्माण, 11. अन्य ग्रामीण उद्योग (मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन बढ़ईगीरी लोहारी) 12. हस्त शिल्प, 13. सामान्य अभियांत्रिकी, 14.रसायनिक अभियांत्रिकी एवं रसायनिक उद्योग, 15. निर्माण सामग्री, 16. रेशम उद्योग, 17. रेंशा, 18. कताई कार्य, 19. सूती एवं अन्य वस्त्रोद्योग, 20. छपाई जिल्दसाजी एवं मुद्रण, 21. आरा मिल्स. लकड़ी का काम एवं फर्नीचर तथा उपस्कर 22. विविध उद्योग (खेल सामग्री निर्माण, बीड़ी, बटन, कार्डबोर्ड, कागज के अन्य उत्पादन, असली एवं बनावटी रत्न और पत्थरों की कटाई एवं पालिश, दोना पतल, झाड़ू टोकना।

उपर्युक्त विभिन्न लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के शिल्पियों को संगठित कर सहकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत बनुकर/औद्योगिक सहकारी समिति का गठन विभागीय चैक लिस्ट के अनुसार किया जाकर पंजयन कराया जाता है । विभागीय चैक लिस्ट के बिन्दु निम्नानुसार है –

बुनकर/औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की चेक लिस्ट

1. 20 विभिन्न कुटुम्बों के 20 सदस्य है ।
2. संस्था के सदस्यों का प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क केन्द्रीय सरकारी अधिकोष में जमा हैं इसका खाता क्रमांक एवं राशि भी दर्शाई जावे ।
3. सहकारी बैंक से ऋण उपलब्ध बावत् आश्वासन पत्र ।
4. संस्था के सदस्य परम्परागत इस उद्योग के कारीगर हैं, अथवा प्रशिक्षित हैं ।
5. संगठक का प्रतिवेदन कार्ययोजना सहित जिसमें यह भी अंकित होगा कि वे कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेंगे, तथा बने हुए माल का विपणन किस प्रकार से करेंगे ।
6. बुनकर/औद्योगिक संघ से संवद्धता बावत् प्रमाण–पत्र ।
7. संस्था के कार्यक्षेत्र में इस उद्‌देश्य की कोई अन्य संस्था कार्यशील हैं । जो उसका विवरण तथा ऐसी संस्था के होते हुए भीनवीन संस्था के गठन का औचित्य दर्शाये ।
8. उपनियम सहकारी संशोधन के अनुरूप तैयार कर 4 प्रतियों में ।
9. म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 14 के अंतर्गत सदस्यों में अयोग्यता नहीं है ।
10. एक सदस्य को संस्था के 4 अंश क्रम किया जाना अनिवार्य है ।
11. कार्ययोजना राशि की उपलब्धता में शासकीय योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता राशि को शमिल न किया जाए ।
12. कुल सदस्यों में से 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है ।
13. बुनकर सहकारी समिति के लिए 30 सदस्य होना जिनके नाम कम से कम 20 हाथकरघे होना इनमें से 50 प्रतिशत कार्यशील होना अथवा प्रशिक्षित बुनकर हो ।

शिल्पियाँ का गठन कर निर्धारित प्रारूप में पंजीयन प्रस्ताव तैयार किया जाकर कार्यालय द्वारा संक्षेपिका तैयार की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुमोदन पश्चात् प्रस्ताव सहायक/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ को पंजीयन हेतु भेजा जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 6 :– जिला कार्यालय में संधारित विभिन्न दस्तावेजों की विवरणिका यू/एस 4.1 (बी) (vi)

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का स्वरूप	दस्तावेज की अवधि
01	पंचवर्षीय योजना	फाईल	विभागीय योजना	5 वर्ष
02	वार्षिक योजना	फाईल	विभागीय योजना	वार्षिक
03	विभिन्न योजना संबंधी	रजिस्टर एवं नस्तियाँ	विभागीय योजनाएँ	10 वर्ष

बिन्दु क्रमांक 7–। – परामर्शदात्री समितियों का ढाँचा जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो ।

जिला कार्यालय स्तर पर इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 8–I – मण्डल परिषद्, समिति इत्यादि (सदस्यों के नाम उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित) यू/एस 4.1 (बी) (viii)

जिला हाथकरघा कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

प्रश्न क्रमांक 9 :— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची (कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध) यू/एस 4.1 (बी) **(ix)**

क्रमांक	नाम	पद	पता
1.	2.	3.	4.
01	श्री टी. एम. अन्सारी	सहायक संचालक (तकनीकी)	132/1, न्यू हरिफाटक रोड़ उज्जैन
02	श्री ए. आर. वर्मा	वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा)	27/6, खत्रीवाड़ा, उज्जैन
03.	श्री आर. सी. पाठक (तकनीकी)	वरिष्ठ निरीक्षक	23, आनन्दगंज की झीरि, इन्दौर गेट, उज्जैन
04.	श्री पी. के. शास्त्री	निरीक्षक, हाथकरघा	बी—2/14, महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र, नानाखेड़ा, उज्जैन
05.	श्री एस. सी. नाटानी	निरीक्षक, हाथकरघा	53, हरसिद्धी दरवाजा, उज्जैन
06.	श्री बी. एल. खाण्डेगर	निरीक्षक, हाथकरघा	250, गौतम मार्ग, नयापुरा, उज्जैन
07.	श्री एम. एन. शुक्ला (तकनीकी)	सहायक निरीक्षक	55, महादजी मार्ग, कार्तिक चौक, उज्जैन
08.	श्री अशोक कुमार मिल्के	चौकीदार	24, शास्त्री नगर गली नं. 2, उज्जैन
09.	श्री नारायण धोलपुरे	फर्राश एवं वाटरमेन	30, महेश नगर, उज्जैन
10.	श्री अशोक योगी	भृत्य	वेद नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन

प्रश्न क्रमांक 10 :— मासिक भुगतान एवं अनुग्रह कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध यू/एस 4.1 (बी) (x)

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मासिक वेतन
1.	2.	3.
01	श्री टी. एम. अन्सारी	रू. 16738/—
02	श्री ए. आर. वर्मा	रू. 11654/—
03.	श्री आर. सी. पाठक	रू. 10917/—
04.	श्री पी. के. शास्त्री	रू. 9850/—
05.	श्री एस. सी. नाटानी	रू. 8866/—
06.	श्री बी. एल. खाण्डेगर	रू. 8825/—
07.	श्री एम. एन. शुक्ला	रू. 7062/—
08.	श्री अशोक कुमार मिल्के	रू. 5288/—
09.	श्री नारायण धोलपुरे	रू. 5288/—
10.	श्री अशोक योगी	रू. 4223/—

बिन्दु क्रमांक 11 – वार्षिक बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध

यू/एस 4.1 (बी) (xi)

क्र.	शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष	कुल आवंटन	व्यय 9/05	
	मांग संख्या 80					
1.	2851–00–110–0101–0723	प्रबंधन पुनर्गठन	2005–06	0.15	0.07	
2.	2851–00–110–0101–0726	संरचना उत्पादन प्रक्रिया	2005–06	0.50	–	
3.	2851–00–110–0101–0734	वित्तीय आधार सुदृढीकरण	2005–06	1.05	–	
4.	2851–00–110–0101–9281	विपणन हेतु सहायता	2005–06	2.00	–	
5.	2851–00–110–0101–9210	वित्तीय आधार सुदृढीकरण (शक्ति चलित करघा)	2005–06	0.30	–	
	योग (मांग संख्या 80)			4.00		
	मांग संख्या 15					
1.	2851–00–110–0103–9340–बी42		वित्तीय आधार सुदृढीकरण			0.50
	–					
2.	2851–00–110–0103–9725–बी42		प्रबंधन पुनर्गठन		0.05	–
3.	2851–00–110–0103–9902–बी42		संरचना उत्पादन		0.50	–
	योग (मांग संख्या 15)			1.05	–	
	कुल बजट आवंटन			5.05	0.07	
	स्टॉफ स्कीम आयोजनेत्तर					
01	2851–103–2542	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृंद		8.92	6.03	
	स्टॉफ स्कीम आयोजना					
02	2851–103–4787	हाथकरघा संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालय एवं संभागीय अतिरिक्त अमला ।		2.06	1.23	
	योग			10.98	7.26	

बिन्दु क्रमांक 12 :– कार्यक्रम एवं हितग्राही यू/एस 4.1 (बी) (xii)

अ. योजना की सूची :– बिन्दु क्रमांक 5 में जानकारी दी गई है ।

ब. हितग्राहियों को चयन करने हेतु मापदण्ड :– बिन्दु क्रमांक 5 वर्णित योजनाओं में पात्रता की शर्तो अनुसार

स. विस्तृत जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	बजट	हितग्राहियों की संख्या वर्ष 05–06
	हाथकरघा		
01	बाजार अध्ययन	––	
02	अनुसंधान एवं विकास	––	
03	अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण	––	
04	व्यक्तिगत बुनकर	––	
05	वेलफेयर पैकेज	––	
06	प्रोजेक्ट पैकेज दीनदयाल	––	
07	विपणन सहायता	––	
08	सूचना प्रौद्योगिकी	––	
09	एकीकृत क्लस्टर	––	
10	प्रमोशन अभिलेखीकरण	––	
11	उद्यमियों स्व–सहायता समूह	––	
12	स्पेशल प्रोजेक्ट	––	
13	हाथकरघा समितियों का पुर्नवास	––	
14	स्टाफ स्कीम	––	
15	राज्य प्रोजेक्ट पैकेज	––	
16	एक्सपो प्रतिपूर्ति	––	
17	कबीर बुनकर प्रोत्साहन	––	
	औद्योगिक		
1.	प्रबंधन एवं पुर्नगठन	0.20	03
2.	संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया	1.00	02
3	विपणन सहायता	2.00	05
4	प्रशिक्षण	–	
5.	वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण	1.85	03
	योग	5.05	13

महायोग	5.05	13

बिन्दु क्रमांक 13 :–प्राप्तकर्ता की सूची एवं दी गयी छूट का स्वरूप यू/एस 4.1 (बी) (xiii)

जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को छूट (कंसेशन) दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 14 :—कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएँ

क्र.	केटेगरी (वर्ग)	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म संख्या
1.	पंचवर्षीय योजना	हार्डकापी	फाईल में
2.	वार्षिक योजना	हार्डकापी	फाईल में
3.	विभिन्न योजना संबंधी	हार्डकापी	फाईल में

बिन्दु क्रमांक 15 :–उपलब्ध सुविधाएँ

क्र.	सुविधा	प्रभारी	समय	संपर्क हेतु दूरभाष
1	कार्यालय में बैठने की व्यवस्था है ।	कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी से लायब्रेरी नहीं है ।	समय 2:30 बजे से 4:30 तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है	2511761 एक्सटेन्शन 220

बिन्दु क्रमांक 16 – लोक सूचना अधिकारी सहायक लोन सूचना अधिकारी पदनाम संबंध में जानकारी

क्र.	पद	नाम	पदनाम	दूरभाष
1	लोक सूचना अधिकारी	श्री. टी. एम. अंसारी	सहा संचालक हाथकरघा	2511761
2	सहायक सूचना अधिकारी 2511761		श्री. ए. आर. वर्मा हाथकरघा एक्सटेन्शन 220	वरिष्ठ निरीक्षक

कार्यस्थल एवं पता :– जिला हाथकरघा कार्यालय जिला पंचायत परिसर, दमदमा, उज्जैन

सम्पर्क समय :– दोपहर :– 2:30 से 4:30 तक

बिन्दु क्रमांक 17 :—अन्य जानकारी जो देना चाहे ।

विभागीय योजनाओं में सहकारी समितियों को विगत 5 वर्षों में स्वीकृत की गई सहायता की जानकारी :—

क्र.	समिति का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	ऋण/ अनुदान
1.	दी. बुनकर सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन	मितव्ययता निधि	00—01	3174.00	अनुदान
		दीन दयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	00—01	9432.00	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	01—02	17157.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	01—02	3405.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	02—03	3897.00	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	02—03	14158.00	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	03—04	8304.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	03—04	2273.00	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	04—05	7297.00	अनुदान
2.	कामगार हस्तकरघा वस्त्र दरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, उज्जैन	दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	00—01	500.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	00—01	2130.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	01—02	853.00	अनुदान
		दीन दयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	01—02	1142.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	02—03	1153.00	अनुदान
		दीन दयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	02—03	526.00	अनुदान
		दीन दयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	02—03	2046.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	03—04	497.00	अनुदान

		मार्जिन मनी में धनवेष्ठन	03–04	27000.00	ब्याज रहित ऋण

क्र.	समिति का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	ऋण/ अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	04–05	2848.00	अनुदान
		मितव्ययता निधि	04–05	508.00	अनुदान
3.	प्रतिष्ठा बुनकर सहकारी समिति मर्या. उज्जैन	दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	00–01	1788/–	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	00–01	1200/–	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	02–03	3159/–	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	03–04	4272/–	अनुदान
		दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन (M.D.A)	04–05	1773/–	अनुदान
4.	स्वस्तिक महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, उज्जैन	प्रबन्धकीय अनुदान	00–01	8000/–	अनुदान
		प्रबंन्धकीय अनुदान	02–03	5000/–	अनुदान
		शासकीय धनवेष्ठन	02–03	25000/–	ब्याज रहित ऋण
		अंशपूंजी ऋण	02–03	24000/–	ऋण
		शासकीय धनवेष्ठन	03–04	25000/–	ब्याज रहित ऋण
		प्रबन्धकीय अनुदान	03–04	3000/–	अनुदान
		शासकीय धनवेष्ठन	04–05	25000/–	ब्याज रहित ऋण
		उत्पादन संरचना प्रक्रिया	04–05	50000/–	अनुदान
		प्रबन्धकीय अनुदान	05–06	2000/–	अनुदान
5.	भारत इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, उज्जैन	शासकीय धनवेष्ठन	00–01	25000/–	ब्याज रहित ऋण

6.	अनुभव रेडिमेड वस्त्र सिलाई औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, उज्जैन	प्रबन्धकीय अनुदान	04–05	7000/–	अनुदान
		शासकीय धनवेष्ठन	04–05	24750/–	ब्याज रहित ऋण
		प्रबन्धकीय अनुदान	05–06	5000/–	अनुदान
7.	भैरवगढ़ कलस्टर एकीकृत कलस्टर विकास	प्रशिक्षण	05–06	78000/–	अनुदान
		प्रोटोटाईप डवलपमेन्ट	05–06	50000/–	अनुदान
		प्रदेश के अन्दर प्रर्दशनीय	05–06	100000/–	अनुदान
		प्रदेश के बाहर प्रर्दशनीय	05–06	100000/–	अनुदान
		बाजार अध्ययन भ्रमण	05–06	50000/–	अनुदान